अपराधी को तीन वर्ष का कारावास

श्रावस्ती। जिले के टाप-10 अपराधी को न्यायालय ने सजा सुनाई। जिसे तीन वर्ष दो माह 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

कोतवाली भिनगा के मोहल्ला हनुमान गढ़ी निवासी गिरीश बहेलिया पुत्र राम नरेश उर्फ भुलई जिले का टाप-10 अपराधी है। जिसके विरुद्ध न्यायालय में मामला विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने अपराधी गिरीश बहेलिया पुत्र राम नरेश उर्फ भुलई को तीन वर्ष दो महीने 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह आबकारी अधिनियम मामले में आरोपी दद्दू पुत्र सियाराम को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए जेल में विताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये से दंडित किया। वर्ष 2020 में पुलिस ने आरोपी को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था।